Fax/Speed Post
Mail

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या :– 17–आवंटन(योजना–0206)–254 / 2017 - 36 - आवंटन

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, भा0प्र0से0
निदेशक,
भू–अभिलेख एवं परिमाप,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्त्ता–सह– बन्दोबस्त पदाधिकारी,
मुजफ्फरपुर, किशनगंज एवं नालन्दा।

पटना, दिनांक : 21/3/18

विषय :– मुख्य शीर्ष – 2029 – भू–राजस्व –उप मुख्य शीर्ष – 00 – लघु शीर्ष – 103 – भू–अभिलेख – उप शीर्ष – 0206– राष्ट्रीय भू–अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (मांग सं0–40), विपत्र कोड – 40–2029001030206, विषय शीर्ष– 28 02, संविदा सेवायें के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि मुख्य शीर्ष – 2029 – भू–राजस्व –उप मुख्य शीर्ष – 00 – लघु शीर्ष – 103 – भू–अभिलेख – उप शीर्ष – 0206– राष्ट्रीय भू–अभिलेख प्रबंधन कार्यक्रम (मांग सं0–40), विपत्र कोड – 40–2029001030206, विषय शीर्ष– 28 02, संविदा सेवायें के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में राजस्व री–सर्वे मानचित्रों के लिए आवंटन निर्गत किया जाता है।

क्र0सं0	**जिला का नाम**	**आवंटित राशि**
1	मुजफ्फरपुर	3,95,020.00
2	किशनगंज	1,63,733.00
3	नालन्दा	95,91,028.00
	कुल योग :–	**1,01,49,781.00**
	(एक करोड़ एक लाख उन्चास हजार सात सौ एकासी रूपये मात्र)	

2. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक – 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार का राज्यादेश संख्या 687 दिनांक 19.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

3 अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।

4. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एंव त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।

5. बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।

6. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नही समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

7. नियमानुसार स्त्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

8. इसकी सूचना महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

9. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।

10. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

11. यह आवंटन आदेश अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्र संख्या 23 दिनांक 20.03.2018, प्रभारी पदाधिकारी बन्दोबस्त कार्यालय, किशनगंज का पत्र संख्या 79 दिनांक 16.03.2018 एवं समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी, नालन्दा के पत्रांक 33 –I दिनाकं 20.03.2018 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

12. इस राशि का भुगतान एकरारनामा में निहित शर्तो के आलोक में किया जाय।

विश्वासभाजन

21/3/18

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(योजना–0206)–254 / 2017 36 आवंटन **पटना, दिनांक** 21/3/18

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/18

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(योजना–0206)–254 / 2017 36 आवंटन **पटना, दिनांक** 21/3/18

निबंधित

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, किशनगंज एवं नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/18

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(योजना–0206)–254 / 2017 36 आवंटन **पटना, दिनांक** 21/3/18

प्रतिलिपि :– प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत, पूर्णियाँ एवं पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/18

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 17–आवंटन(योजना–0206)–254 / 2017 36 आवंटन **पटना, दिनांक** 21/3/18

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं श्री संतोष कुमार लेखापाल , बी0पी0एम0यू0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/3/18

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप